न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 486/2023

सुरजकंरण पुत्र स्व0 हरजीराम
बनाम
आशीष कुमार पुत्र राजेश कुमार वगैरा

निर्णय दिनांक 25 .05.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट ने तहसीलदार (भू.अ.) बिलाड़ा द्वारा ग्राम हर्ष के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 931 दिनांक 21.09.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, वस्तुतः उक्त ना0क0 प्रकियाधीन है।

अपील के साथ अपीलाधीन खसरान की भूमि के निरस्त ना0क0सं0 928 दिनांक 13.09.23 एवं जमाबंदी संवत् 2075–78 (जमाबंदी 2076 वर्ष 2019 से स्थायी) की प्रति प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलाधीन ना0क0सं0 931 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने में छूट हेतु डिस्पेंश विथ का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय श0प0 भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर तत्समय दिनांक 04.10.2023 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया एवं पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट श्री ओमप्रकाश डारा एवं रेस्पो0सं0 1 की ओर से श्री पवर्तसिंह भाटी, श्री रोशनलाल एवं रेस्पो0सं0 2 की ओर से श्री धीरेन्द्र दाधीच तथा रेस्पो0सं0 15 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। शेष रेस्पो0 अनुपस्थित।

दिनांक 28.04.2026 की आदेशिका में रेस्पो0सं0 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र दाधीच ने एवं रेस्पो0सं0 5 से 14 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र ने अपनी अन्डरटेकिंग अंकित कर वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया, प्रर्याप्त अवसर के उपरांत वकालतनामें प्रस्तुत नही करने से इनके द्वारा दी गई अन्डरटेकिंग अस्वीकार की जाती है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि जमाबंदी संवत् 2075–78 के अनुसार तहसील बिलाडा स्थित ग्राम हर्ष के ख0नं0 66, 67, 68, 69 व 83 कुल खसरा 5 कुल रकबा 13.9633 हैक्टर भूमि अपीलार्थी के दादा चन्द्राराम के 1/3 हिस्सें में सह–खातेदारी में दर्ज थी। चन्द्राराम का स्वर्गवास हो जाने पर अपीलांट के पिता–हरजीराम द्वारा हल्का पटवारी को वारिसान के नाम फौतेदगी ना0क0 पारित करने हेतु कागजात प्रस्तुत कर, उनके आश्वासन पर ना0क0 पारित कर दिये जाने पर विश्वास कर लिया गया। तत्पश्चात अपीलांट के पिता हरजीलाल का दिनांक 31.07.2001 को, दादी मूलीदेवी का दिनांक 08.04.2015, चन्दाराम के पुत्र पूर्णाराम का दिनांक 30.08.15 को व अपीलार्थी की माता डालूडी का दिनांक 13.11.2018 को स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात दिनांक 11.09.2023 को अपीलार्थी को केसीसी हेतु जमाबंदी की आवश्यकता पड़ने पर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने तथा पुश्तैनी जायदाद की रजिस्ट्री होने व नामान्तरकरण की कार्यवाही प्रकियाधीन होने की जानकारी हुई। तब राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी के दादा के नाम एक फर्जी आम मुख्त्यारनामा दिनांक 14.07.2023 को महेन्द्र पुत्र तुलछाराम द्वारा तैयार करवाकर रेस्पो0सं0 1 से 3 के नाम रजिस्ट्री करवा दी गई है।

उक्त फर्जी आममुख्त्यारनामा चन्द्राराम के स्वर्गवास के 46 वर्ष बाद तैयार करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट अपीलार्थी ने दिनांक 16.09.2023 को पुलिस थाना बिलाडा में दर्ज करवायी गई, जो जैर अनुसंधान है। अपीलार्थी ने तहसीलदार के समक्ष एतराज पेश किया, तो तहसीलदार बिलाड़ा ने उक्त बेचान के आधार पर भरे गये ना0क0सं0 928 को दिनांक 13.09.2023 को खारिज कर दिया गया। परंतु उसी तहसीलदार द्वारा एक नया ना0क0सं0 931 दिनांक 21.09.2023 को भरा गया। जिसकी नकल मांगने पर इसे प्रकियाधीन होना बताते हुए नकल नही दी गई। ऐसे मुख्त्यारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण नही किया जा सकता है। जब स्वयं तहसीलदार बिलाडा ने इस आधार पर भरे गये ना0क0सं0 928 को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

खारिज किया गया था, उसी आधार पर दूसरा ना0क0 भरकर स्वीकार नही किया जा सकता है।

रेस्पो0 का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जाकाश्त नही है। मौके पर अपीलार्थी अपने दादा चन्द्राराम के हिस्से की भूमि पर अन्य वारिसान के साथ काबिज है। रेस्पो0 ने बाले–बाले फर्जी मुख्त्यारनामा तैयार करवाकर अपीलार्थी को अपने जायद अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकियाधीन ना0क0सं0 931 निरस्त करने तथा स्व0 चन्द्राराम के नाम रेकर्ड में दर्ज 1/3 हिस्से की भूमि अपीलांट एवं उनके अन्य वारिसान के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया। जिस पर रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा आदेशिका दिनांक 12.05.2026 में "एन.ओ.सी." अंकित की गई।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय–तहसीलदार (भू.अ.) बिलाड़ा की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया जाता है –

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रेस्पो0सं0 1 से 3 आशीष, राधेश्याम व विनोद के नाम खोले गये ना0क0सं0 931 दिनांक 21.09.23–पी. 21 प्राप्ति संख्या एवं दिनांक 1. 21/09/2023 6:12 पी.एम. की अहस्ताक्षरित प्रति (दो पृष्ठ) तथा जमाबंदी संवत् 2075–78, जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी–प्रपत्र पी–26 (सी) हल्का पटवारी बिंजवाडिया द्वारा दिनांक 20.06.24 को जारी सत्यप्रति (1 पृष्ठ) प्राप्त हुई।
2. उक्त जमाबंदी में नामान्तरकरण संख्या 931, 21/09/2023 बेचान खसरा संख्या 66, 67, 38, 69, 83 के आधार पर खरीददारान का नाम दर्ज कर नामान्तरकरण प्रकियाधीन है तथा हस्तगत अपील में पारित स्थगन आदेश एवं निरस्त नामान्तरकरण 928 दिनांक 13.09.2023 को नोट अंकित किया हुआ है।
3. उक्त जमाबंदी की प्रविष्टि प्रकियाधीन ना0क0सं0 931 दिनांक 21.09.2023 के आधार पर अंकित कर दी गई, जिसमें सक्षम आदेश का अभाव है तथा उक्त प्रविष्टि के आधार पर हस्तगत अपील प्रकियाधीन ना0क0सं0 931 के विरूद्ध

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रस्तुत कर दी गई, जिसमें किसी प्रकार की मूल आज्ञा अर्थात ना0क0 स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अभाव है।

4. राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 एवं 76 में मूल आज्ञा के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के प्रावधान है।

5. आलौच्य प्रकरण में किसी प्रकार की मूल आज्ञा पारित नही होने से, प्रथम दृष्टया उक्त अपील खारिज योग्य है। द्वितीय अपीलार्थी द्वारा वांछित अनुतोष की विषय वस्तु सिविल प्रकृति की है, जिसे इस स्तर पर स्वीकार करने हेतु रेस्पो0सं0 1 व 2 द्वारा अंकित ''एन.ओ.सी.'' प्रर्याप्त नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर जमाबंदी संवत् 2075–78, जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी –प्रपत्र पी–26 (सी) में प्रक्रियाधीन नामान्तरकरण संख्या 931, 21/09/2023 के आधार पर बेचान खसरा संख्या 66, 67, 38, 69, 83 के खरीददारान के नाम दर्ज प्रविष्टि, को निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण तहसीलदार (भू.अ.) बिलाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह स्व0 चन्द्राराम पुत्र रामाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज ग्राम हर्ष के वादग्रस्त ख0नं0 66, 67, 68, 69 व 83 की 1/3 हिस्से की भूमि में हुए अंतरणों को ध्यान में रखते हुए, सभी हितबद्ध पक्षों की समुचित सुनवाई एवं मृत्तक खातेदार चन्द्राराम के वारिसान की जांच कर, आगामी 60 दिवस में विधिसम्मत नामान्तरकरण पारित कराने की कार्यवाही करावे।

निर्णय आज दिनांक 25/5/2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर